श्रमकानूनों में डकैती बर्दास्त नहीं

मज़दूर सहयोग केन्द्र के सम्मेलन में संयुक्त विरोध का प्रस्ताव पारित

रुद्रपुर (उत्तराखण्ड)। ''केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रमकानूनों में किये जा रहे बदलाव मज़दूर अधिकारों पर खुली डकैती है। मज़दूर वर्ग इसे कतई बर्दास्त नहीं करेगा। श्रमिक संगठन इसके खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध व संघर्ष करेंगे।''

उक्त विचार मज़दूर सहयोग केन्द्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में उभर कर आयी। स्थानीय नगरनिगम सभागार में जारी मज़दूर विरोधी श्रम सुधारों के खिलाफ एक दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न मज़दूर यूनियनों, संगठनों, महासंघों और आम मज़दूरों ने भागेदारी की। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के तहत इलाके के सभी मज़दूर पक्षधर संघों, संगठनों की अगामी 7 सितम्बर को बैठक करने और विरोध की साझी रणनीति बनाने का निर्णय बना।

इस मौके पर सीटू के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड सत्यप्रकाश ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार देशी–विदोशी पूँजीपतियों के निर्देश पर विभिन्न श्रम कानूनों में मनमाने बदलाव कर रही है। दिल्ली के ट्रेडयूनियन कर्मी अमित ने बताया कि 1970–80 के दशक से ही पूँजीपति वर्ग के हमले लगातार तेज होते गये हैं, जिसकी परिणिति आज सामने है। उन्होंने कहा कि यह डकैती की शुरुआत है, सरकार मज़दूरों के कत्लेआम तक आगे बढ़ेगी। इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के कैलाश भट्ट ने श्रमन्यायालयों तक को पंगु बनाने की तैयारी का जिक्र करते हुए बीमा आदि में बढ़ती एफडीआई जैसे मुद्दों को भी विरोध के दायरे में लाने पर जोर दिया। मास्टर प्रताप सिंह ने मोदी के नो इफेक्ट की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का वायदा है कि वह उद्योग जगत पर मज़दूरों के विरोध का कोई असर नहीं होने देगी। एटक के जिला महामंत्री ओ एन गुप्ता ने एक बड़ी लड़ाई की तैयारी की जरूरत बताई तो इण्टक के जनार्दन सिंह ने कहा कि विरोध जरूरी है लेकिन इसके लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है।

सम्मेलन की शुरुआत में वोल्टास इम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष नन्दलाल ने पर्चा प्रस्तुत करते हुए कहा कि हायर एण्ड फायर की तर्ज पर कारखाना अधिनियम,1948, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व श्रमविधि अधिनियम,1988 में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने जो 54 बदलाव परित किये हैं, वो मज़दूरों को यूज एण्ड थ्रो की नीति है। सत्ता पर काबिज होने के साथ ही केन्द्र की मोदी सरकार देशी–विदेशी कार्पोरेट जगत की सेवा में खुलकर काम कर रही है। उसने मुख्य एजेण्डे के तौर पर लम्बे संघर्षों के दौरान मज़दूरों को हासिल श्रम कानूनी अधिकारों को एक झटके में खत्म करने का काम तेज कर दिया है। इस होड़ में केन्द्र ही नहीं, मुल्क की राज्य सरकारें भी जुटी हैं। राजस्थान सरकार ने इसमें पहले बाजी मारी। तो हरियाणा सरकार भी कवायद में लग गयी। उत्तराखण्ड की कैबिनेट ने कारखाना अधिनियम में संसोधन कर दिया। उत्तरप्रदेश सरकार एसोचेम के सुझाव पर इस कवायद में लग गयी। गुजरात तो पहले से ही श्रमिक कब्रगाह का 'मॉडल' बन चुका है।

मज़दूर सहयोग केन्द्र गुडगॉव के महासचिव व मरुति के संघर्षशील साथी खुशी राम ने कहा कि हालात ये बन गये हैं कि हमें पुराने कानूनी अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि हमारे सामने अपने आगे के हकों को पाने और मज़दूर वर्ग के हाथों में सत्ता लाने तक की लड़ाई बाकी है। पारले मज़दूर संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त भट्ट ने सवाल उठाया कि मौजूदा श्रम कानूनों के होते हुए भी जब यूनियन बनाने तक का दण्ड नौकरी गंवाने के रूप में झेलना पड़ रहा है तो नये कानूनों के बन जाने के बाद क्या हालात होंगे? एलजीबी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष मनोज ने कहा कि बड़ी मज़दूर आबादी को इसका इल्म तक नहीं है कि क्या होने जा रहा है। ब्रिटानिया मज़दूर संघ के राजेश रावत ने सरल भाषा में हकीकत से परिचित कराने की योजना लेने की बात की। जबकि नैस्ले

कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजदीप बाठला ने संयुक्त मोर्चा बनाने का सुझाव रखा। सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी संगठन के आर सी खन्ना ने पेंशनधारकों को भी इससे जोड़ने की बात रखी। चर्चा में पूर्व पालिका ट्रेड यूनियन कर्मी नेबूलाल शर्मा, पूर्व ट्रेडयूनियन नेता अमर सिंह, पंतनगर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष बिशुन, व्योहराक यूनियन अध्यक्ष डी ए रावत, आनन्द निशिकावा इम्पलाइज यूनियन के मनवीर सिंह, सीपीआई के राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एम एन मण्डल, पुरुषोत्तम कुमार, विरेन्द्र सिंह, वीरपाल, ए पी भारती, खेमकरण सोमन, आदि ने भी भाग लिया। संचालन कुन्दन सिंह ने किया।

अन्त में मज़दूर सहयोग केन्द्र की ओर से मुकुल ने प्रस्ताव रखा कि इलाके की सभी ट्रेड यूनियनों, महासंघों व संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाकर अगामी योजना की रणनीति बनाई जाए, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ।